New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India , Investigator (Language) Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may called the Office of the Registrar General, India, Investigator (Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Registrar General, India, Office Superintendent Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(i) in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(b) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level -6 (Rs. 35400-112400/-).";

(ii) in column 11, under the sub-heading 'By direct recruitment',-

(a) (ii) for the words, letters and figures "the Pay Band 1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2800", the words, figures and letters "level-5(Rs. 29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) Note shall be omitted

[F. No. A-16011/2/2000-Ad-II /Ad-V]

S. N. SHARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, PART II-Section 3- Sub-section (i) *vide* notification number G. S. R.104, dated the 12th May, 2012.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, श्रम पर्यवेक्षक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में श्रम पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, श्रम पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श और कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रम पर्यवेक्षक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परीवर्तनीय	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 4 (रु. 25500-81100)	अचयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में वेतन मेट्रिक्स के लेवल-2 (रु. 19900-63200) की श्रेणी में हवलदार जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से

	अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक और पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्थान के ऐसे अधिकारीगण: (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 3 (रु. 21700-69100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 (रु. 19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव रखते हों: (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10 + 2 पास (ख) समूह 'ग' के कर्मियों का पर्यवेक्षण जैसे उनका अभिनियोजन, समय-पाबंदी की निगरानी, कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, आचरण और अनुशासन; उनकी हा.जिरी एवं अवकाश अभिलेखों का रखरखाव तथा उनके कल्याणकारी कार्य में तीन वर्षों का अनुभव । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष	लागू नहीं ।

2. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य 3. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का प्रभारी उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

[फा.सं. ए-11018/26/2015-एमएच-II]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th March, 2018

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Labour Suprevisor, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2007 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Labour Supervisor , in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Labour Supervisor (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Labour Supervisor.	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Haveldaar in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institution,- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) in level 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the parent cadre or department; or (iii) in level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the parent cadre or department; and possessing following qualification and experience: (a)10+2 pass from a recognised Board or University. (b) three years experience in supervision of Group 'C' staff such as their deployment, monitoring of punctuality, assessment of performance, conduct and discipline; and maintenance of their attendance and leave record and their welfare. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three year. The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2:** The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital --Chairman (2) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital --Member (3) Deputy Director in-charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services --Member	Not applicable.

[F.No. A-11018/26/2015-MH-II]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1964, जहां तक उनका संबंध मुख्य डिजाइनर और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2003 पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, में मुख्य डिजाइनर और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, मुख्य डिजाइनर और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.-** कोई व्यक्ति; –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,